
अध्याय-II

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

अध्याय-II

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 परिचय

2.1.1 विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यार्थ दत्तमत्त अनुदानों एवं प्रभारित विनियोजनों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के दत्तमत्त एवं प्रभारित व्यय के लेखे विनियोजन लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट आकलनों, अनुपूरक अनुदानों, अध्यर्पणों तथा पुनर्विनियोजनों को पृथक रूप से सूचीबद्ध करते हैं तथा बजट की दोनों प्रभारित व दत्तमत्त मदों के संबंध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार विनियोजन लेखा वित्त के प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधान के अनुश्रवण को सुविधाजनक बनाते हैं इसलिए ये वित्त लेखा के सम्पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय वास्तविक रूप में विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के भीतर है तथा संविधान के प्रावधान के अंतर्गत प्रभारित किए जाने वाले अपेक्षित व्यय के अनुसार प्रभारित किया गया है। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि, सम्बंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

लेखापरीक्षा में ध्यान में आई बजट एवं व्यय प्रबन्धन तथा बजट नियमावली के उल्लंघन से सम्बंधित कमियों की अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.2 विनियोजन लेखे का सारांश

वर्ष 2014-15 के दौरान 32 अनुदानों/विनियोजनों के प्रति वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति तालिका 2.1 में दी गई है।

तालिका 2.1: 2014-15 के मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति

(₹ करोड़)

	व्यय स्वरूप	मूल अनुदान/विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/विनियोजन	योग	वास्तविक व्यय	बचत ¹ (-)/आधिक्य (+)	प्रत्यर्पित राशि	31 मार्च को प्रत्यर्पित राशि	31 मार्च को प्रत्यर्पित बचतों का प्रतिशत (कॉलम 7/कॉलम 6)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
दत्तमत्त	I राजस्व	18,878.33	1,298.82	20,177.15	19,214.26	(-)962.89	1,660.90	1,660.90	172
	II पूँजी	1,992.58	565.58	2,558.16	2,506.41	(-)51.75	35.28	35.28	68
	III ऋण एवं अप्रिम	367.03	81.33	448.36	474.19	25.83	60.78	60.78	-
कुल दत्तमत्त	21,237.94	1,945.73	23,183.67	22,194.86	(-)988.81	1,756.96	1,756.96	177.68	
प्रभारित	IV राजस्व	2,794.71	2.36	2,797.07	2,894.20	97.13	60.94	60.94	-
	V पूँजी	-	23.49	23.49	23.12	(-)0.37	- ²	- ³	-
	V लोक ऋण- चुकौती	1,510.96	5,782.02	7,292.98	8,259.82	966.84	-	-	-
कुल प्रभारित	4,305.67	5,807.87	10,113.54	11,177.14	1,063.60	60.94	60.94	-	
आकमिक निधि (अगर कोई है) से विनियोजन		-		-	-	-	-	-	-
सकल योग	25,543.61	7,753.60	33,297.21	33,372.00	74.79	1,817.90	1,817.90	-	

स्रोत: विनियोजन लेखे

¹ निधियों के उपयोग में कमी

² ₹ 16,000/- केवल

³ ₹ 16,000/- केवल

वर्ष 2014-15 के दौरान अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत दर्ज ₹ 74.79 करोड़ का समस्त व्यय आधिक्य, पूँजीगत प्रवर्ग के अन्तर्गत चार अनुदानों व एक विनियोजन तथा राजस्व प्रवर्ग के छ: अनुदानों व पांच विनियोजनों में ₹ 1,585.69 करोड़ (संदर्भ: विनियोजन लेखा का सारांश) में आधिक्य के परिणामस्वरूप था जो पूँजीगत प्रवर्ग के अन्तर्गत 21 अनुदानों तथा दो विनियोजनों तथा राजस्व प्रवर्ग के 26 अनुदानों तथा चार विनियोजनों में ₹ 1,510.90 करोड़ की बचतों (संदर्भ: विनियोजन लेखा का सारांश) द्वारा प्रतिसंतुलित हुआ।

वर्ष के दौरान अनुदान जिनके प्रति ₹ 25 करोड़ से अधिक की सार्थक बचतें पाई गई वे भूमि राजस्व तथा जिला प्रशासन राजस्व-दत्तमत्त शिक्षा (राजस्व-दत्तमत्त), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व-दत्तमत्त), ग्रामीण विकास (राजस्व-दत्तमत्त), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (राजस्व-दत्तमत्त), श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण (राजस्व-दत्तमत्त) तथा वित्त (राजस्व-दत्तमत्त) थे। इसी प्रकार अनुदान/विनियोजन जिनके प्रति वर्ष 2014-15 के दौरान आवंटनों की तुलना में सार्थक व्यय आधिक्य पाया गया वे कृषि (राजस्व-दत्तमत्त), सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता (राजस्व-दत्तमत्त), वित्त (राजस्व-प्रभारित), विद्युत विकास (पूँजीगत-दत्तमत्त) एवं वित्त (पूँजीगत-प्रभारित) थे।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश द्वारा संबन्धित नियंत्रण अधिकारियों से 205 उप-शीर्षों (आधिक्य: 93 उप-शीर्ष; बचत: 112 उप-शीर्ष) के संबन्ध में बचतों/आधिक्यों के लिए कारण मांगे गये थे (जुलाई 2015)। कारण प्रतीक्षित थे (सितंबर 2015)।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 अधिक व्यय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (3) के अनुसार इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुरूप विधि द्वारा निर्मित विनियोगों को छोड़कर राज्य की समेकित निधि से कोई भी धन प्रत्याहृत नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त उपबन्धों के बावजूद भी बजट प्रावधान से भी अधिक व्यय 2013-14 के ₹ 474.84 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 1,585.69 करोड़ हो गया। सकल व्यय (₹ 14,670.30 करोड़) के अनुमोदित प्रावधान से ₹ 1,585.05 करोड़ बढ़े हुए उस व्यय के ब्यौरे परिशिष्ट 2.1 में दिये गये हैं जिनमें से प्रत्येक नौ मामलों में व्यय ₹ एक करोड़ से अधिक व कुल प्रावधान (एक) के 20 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गया। विभागों से अधिक व्यय के कारण प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2015)।

दोषी विभागों के अधिक व्यय से परिहार हेतु सुदृढ़ उपाय करने की आवश्यकता है। अधिक व्यय की अपरिहार्यता का कोई ठोस कारण नहीं है जबकि सरकार को किसी भी वर्ष में विधान मण्डल के तीन सत्रों के दौरान अनुपूरक अनुदान मांगें प्रस्तुत करने के अवसर प्राप्त होते हैं। बजट आकलनों पर व अनुपूरक अनुदान मांगों पर भी अनुचित आयोजना, दूरदर्शिता के अभाव व अप्रभावी अनुश्रवण के परिणामस्वरूप बजट अनुदान आधिक्य पूर्ण हो जाता है।

2.3.1.1 प्रावधानों पर आधिक्य नियमन हेतु अपेक्षित

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिए अनुदान/विनियोजन के आधिक्य को राज्य विधायिका से नियमित करवाना अनिवार्य है। यद्यपि व्यय के नियमन हेतु अनुच्छेद के अंतर्गत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखों पर परिचर्चा पूर्ण होने के उपरांत अधिक व्यय का नियमन किया जाता है। तथापि, 2009-10 से 2013-14 तक के वर्षों का ₹ 5,055.89 करोड़ (परिशिष्ट 2.2) का अधिक व्यय सितम्बर 2015 तक नियमित किया जाना बाकी था। वर्ष 2014-15 के दौरान 10 अनुदानों तथा छ: विनियोजनों में हुए ₹ 1,585.69 करोड़ (परिशिष्ट 2.3) के व्यय आधिक्य को भी नियमित किये जाने की आवश्यकता है।

2.3.1.2 निरंतर व्यय आधिक्य

अनुदान संख्या 13-सिंचाई, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता में राजस्व-दत्तमत्त में 2010-11 (₹ 586.72 करोड़), 2011-12 (₹ 350.71 करोड़), 2012-13 (₹ 285.21 करोड़), 2013-14 (₹ 255.33 करोड़) एवं 2014-15 (₹ 474.07 करोड़) के दौरान निरन्तर व्यय आधिक्य था।

निरन्तर व्यय आधिक्य यह दर्शाता है कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में ठोस प्रयास की कमी थी और वर्षानुवर्ष अधिक व्यय को रोकने के लिए निधियां आवंटित करते समय गत वर्ष की प्रवृत्ति को ध्यान में नहीं रखा गया।

2.3.1.3 प्रावधानरहित व्यय

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार निधियों के प्रावधान के बिना स्कीम/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया जैसाकि परिशिष्ट 2.4 में ब्लौरा दिया गया है कि 20 मामलों में मूल आकलनों/अनुपूरक मांग में बिना किसी प्रावधान तथा इस आशय के किन्हीं पुनर्विनियोजन आदेशों के बिना ₹ 35.80 करोड़ का व्यय किया गया।

विनियोजन के आधिक्य में या विनियोजनरहित व्यय बजट नियन्त्रण तन्त्र में चूक का द्योतक है और अनियमित भी है क्योंकि राज्य विधान-मण्डल से अनुमोदन के बिना व्यय किया गया है।

2.3.1.4 अधिक व्यय में परिणत अपर्याप्त/अनावश्यक/अधिक अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान छ: मामलों में, प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक, प्राप्त समग्र ₹ 343.99 करोड़ (परिशिष्ट 2.5) का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं गया। सात मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक) प्राप्त ₹ 5,967 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान ₹ 1,011.84 करोड़ (परिशिष्ट 2.6) के कुल अनावृत्त आधिक्य व्यय को छोड़ते हुए अपर्याप्त सिद्ध हुआ। वित्त विभाग द्वारा अनावृत्त आधिक्य में से ₹ 966.83 करोड़ (96 प्रतिशत) अनुदान संख्या 29-वित्त (पूँजीगत-प्रभारित) में खर्च किया गया।

2.3.2 निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक इकाई से जहां बचतें प्रत्याशित हैं, दूसरी इकाई को जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, अनुदान के अन्तर्गत निधियों का अंतरण है। अविवेकी पुनर्विनियोजन अधिक अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप 54 उप-शीर्षों (परिशिष्ट 2.7) में ₹ एक करोड़ से अधिक बचतें/आधिक्य हुआ। इनमें से, 13 उप-शीर्षों में ₹ 10 करोड़ से अधिक का आधिक्य/बचतें हुई। इसके अतिरिक्त शीर्ष 2415-01-004-02 (हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में अनुसंधान हेतु अनुदान) के अंतर्गत अनुदान संख्या 11-कृषि के तहत ₹ 9.14 करोड़ का व्यय आधिक्य हुआ था जहां ₹ 16.34 करोड़ का पुनर्विनियोजन अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

2.3.3 व्यय का तीव्र प्रवाह

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के अनुसार व्यय के तीव्र प्रवाह से विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के समाप्त मास में बचना चाहिए।

इसके विपरीत 23 उप-शीर्षों (परिशिष्ट 2.8) के सम्बन्ध में वर्ष हेतु कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक से समावेशित ₹ 10 करोड़ से अधिक का व्यय मार्च 2015 मास में किया गया था। मुख्य शीर्षों,

जहां व्यय 50 प्रतिशत से अधिक या तो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही अथवा अंतिम मास के दौरान किया गया, का व्यौरा तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह के मामले

(₹ करोड़)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष (दत्तमत/प्रभारित)	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2015 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता		
1.	2245 (दत्तमत)- प्राकृतिक आपदाओं पर राहत	164.35	92.76	56	12.33	8
2.	2801 (दत्तमत)-विद्युत	403.78	330.00	82	330.00	82
3.	4216 (दत्तमत)-आवासीय पूँजीगत परिव्यय	16.52	11.05	67	11.05	67
4.	4701 (दत्तमत)-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	22.91	22.81	99	22.81	99
5.	4705 (दत्तमत)-कमाण्ड क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय	18.74	15.29	82	15.29	82
6.	5054 (प्रभारित)-सड़कों व पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	21.49	16.08	75	16.08	75
योग		647.79	487.99	75	407.56	63

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय द्वारा संकलित सूचना।

2.3.4 आवंटित प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोजन

विनियोजन लेखापरीक्षा के परिणाम से उद्घाटित हुआ कि 30 मामलों में बचतें प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ तक बढ़ गई तथा तीन मामलों में कुल प्रावधान से 20 प्रतिशत अधिक रही (परिशिष्ट 2.9)। ₹ 1,510.90 करोड़ की कुल बचतों में से चार अनुदानों से संबंधित मात्र चार मामलों में ₹ 1,228.60 करोड़ (81 प्रतिशत) की बहुत अधिक बचतें थीं जहां बचत प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक थीं जैसा कि तालिका 2.3 में इंगित किया गया है।

तालिका 2.3: ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें/प्रतिशतता	बहुत अधिक बचतों की स्कीमें
राजस्व दत्तमत					
1.	08-शिक्षा	4,086.12	3,700.75	385.37(9)	पूर्व-माध्यमिक विद्यालय: 221.64 माध्यमिक विद्यालय: 38.21
2.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,247.36	1,095.47	151.89(12)	शहरी स्वास्थ्य: 38.36 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रावधान: 46.72
3.	20-ग्रामीण विकास	948.43	838.57	109.86(12)	मगरेगस: 20.17
4.	29-वित्त	3,546.79	2,965.31	581.48 (16)	से सेवानिवृति 01-11-1966: 92.37 से भुगतान 01-11-1966: 57.00 से भुगतान 01-11-1966 से उपदान भुगतान: 129.96
योग		9,828.70	8,600.10	1,228.60	

स्रोत: विनियोजन लेखे

कोष्ठक के आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।

राज्य सरकार द्वारा अनुदान संख्या 09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 20-ग्रामीण विकास तथा 29- वित्त में अधिक मात्रा में बचतों (उपयोग में कमी) के कारण नहीं बताए गए थे (सितम्बर 2015)।

2.3.4.1 निरंतर बचतें

गत पांच वर्षों के दौरान आठ मामलों में प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें थीं, जैसा कि तालिका 2.4 में वर्णित किया गया है।

तालिका 2.4: 2010-15 के दौरान निरंतर बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	बचत की राशि				
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व दत्तमत्त						
1.	03-न्याय प्रशासन	16.51	15.96	14.78	16.71	4.52
2.	08-शिक्षा	33.53	205.11	119.99	342.46	385.37
3.	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	7.78	9.43	6.89	13.44	11.61
4.	20-ग्रामीण विकास	4.06	75.07	72.69	60.04	109.86
पूँजीगत-दत्तमत्त						
5.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	1.58	51.22	45.41	77.21	11.83
6.	29-वित्त	1.84	1.67	5.07	4.52	5.49
7.	31-जनजातीय विकास	1.67	12.55	8.54	45.42	7.17
8.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	18.49	2.39	61.22	83.63	9.27

स्रोत:विविधोग लेखे

वर्ष 2012-13 (₹ 81.44 करोड़), 2013-14 (₹ 204.90 करोड़) तथा 2014-15 (₹ 221.64 करोड़) के दौरान अनुदान संख्या 08-शिक्षा के अंतर्गत बचतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूर्व-माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत था।

2.3.4.2 अधिक मात्रा में अभ्यर्पण

स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन न करने अथवा धीमें कार्यान्वयन से 34 उप-शीर्षों (परिशिष्ट 2.10) के सम्बंध में अधिक मात्रा में अभ्यर्पण (मामले जहां कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्पित किया गया) किये गये थे। इन 34 स्कीमों में ₹ 291.30 करोड़ राशि के कुल प्रावधान में से ₹ 215.04 करोड़ (74 प्रतिशत) के अभ्यर्पण किये गये थे जिसमें 17 स्कीमों (₹ 72.23 करोड़) (परिशिष्ट 2.11) में शत-प्रतिशत अभ्यर्पण सम्मिलित थे। 17 स्कीमों में से 08-शिक्षा के अन्तर्गत 'अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति' (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) (₹ 3.29 करोड़), अनुदान संख्या 10- लोक निर्माण सड़कें, पुल तथा भवनों के अन्तर्गत 'तेरहवें वित्त आयोग अवार्ड के अन्तर्गत सड़कों के रखरखाव पर व्यय' (₹ 41.62 करोड़) तथा अनुदान संख्या 32-अनुसूचित जाति उप-योजना के अन्तर्गत 'विद्युत बोर्ड को सहायता' (₹ 12.59 करोड़) व 'राज्य कला उद्योग के निर्माण पर व्यय' (₹ 3.77 करोड़) के अन्तर्गत अभ्यर्पित किये गए थे।

इसके अतिरिक्त, 16 मामलों में 31 मार्च 2015 तक ₹ 1,648.74 करोड़ से अंतर्विष्ट प्रत्येक में ₹ 10 करोड़ से अधिक का अभ्यर्पण था (परिशिष्ट 2.12)। मार्च 2015 के अंतिम कार्य दिवस पर निधियों का अभ्यर्पण जिसके परिणामस्वरूप जरूरतमंद क्षेत्रों में अन्य विकासशील उद्देश्यों के लिए निधियों की प्रयुक्ति नहीं हुई, से अपर्याप्त वित्तीय नियन्त्रण इंगित होता है।

2.3.4.3 प्रत्याशित बचतों का अभ्यर्पण न करना

हिमाचल प्रदेश बजट नियम-पुस्तिका (अध्याय 11 का परिच्छेद 11.2) के अनुसार सभी बचतें, जब कभी प्रत्याशित हों, व्यय करने वाले विभाग द्वारा 15 जनवरी तक वित्त विभाग को अवश्य अभ्यर्पित की जानी चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि निम्नलिखित अनुदानों में ₹ 651.70 करोड़ की कुल बचतों में से केवल ₹ 474.71 करोड़ अभ्यर्पित किये गये थे जैसाकि तालिका 2.5 में वर्णित है।

तालिका 2.5: अभ्यर्पित न किए गए ₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचत के मामले

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई
राजस्व-दत्तमत्त				
1.	07-पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	9.14	8.83	0.31
2.	14-पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्यकी	6.72	5.45	1.27
3.	18-उद्योग, खनिज पदार्थ, आपूर्ति एवं सूचना तकनीकी	5.20	3.08	2.12
4.	29- वित्त	581.48	428.49	152.99
पूंजीगत-दत्तमत्त				
5.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6.44	5.23	1.21
6.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल तथा भवन	11.83	9.95	1.88
7.	13-सिचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	8.96	8.62	0.34
8.	29- वित्त	5.49	5.06	0.43
9.	31- जनजातीय विकास	7.17	-	7.17
10.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	9.27	-	9.27
	योग	651.70	474.71	176.99

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, बचतों की बड़ी राशि के बावजूद अनुदान संख्या 18-उद्योग, खनिज पदार्थ, आपूर्ति एवं सूचना तकनीकी: ₹ 2.12 करोड़ (राजस्व-दत्तमत्त) और 29-वित्त: ₹ 152.99 करोड़ (राजस्व-दत्तमत्त) के अंतर्गत पर्याप्त अभ्यर्पण नहीं किये गए थे। इसके अतिरिक्त अनुदान संख्या 31-जनजातीय विकास (पूंजीगत-दत्तमत्त) और 32-अनुसूचित जाति उप-योजना (पूंजीगत-दत्तमत्त) के अन्तर्गत बड़ी बचतों के बावजूद अभ्यर्पण नहीं किये गये थे।

2.3.5 बजट अनुदान के परहस्तगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली के नियम 5.71 (ग) (5) में यह अनुबद्ध है कि कोषागार से तब तक किसी भी राशि का आहरण नहीं किया जाएगा जब तक कि यह अतिशीघ्र संवितरण हेतु आवश्यक न हो। निम्नवत् मामलों के सम्बन्ध में आहृत की गई राशियों को न तो किन्हीं विशिष्ट प्रयोजनों पर व्यय किया गया और न ही 2014-15 वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले कोषागार में वापिस किया गया।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा लोक निर्माण कार्य विभागों के छ:⁴ मण्डलों के अधिशासी अधियन्ताओं ने 52 निर्माण कार्यों⁵ के निष्पादनार्थ ₹ 58.79 करोड़ आहृत किए (मार्च 2013 एवं मार्च 2014) तथा साथ ही निधियां उनके नियंत्रणाधीन अन्य मण्डलों (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण) तथा उप-मण्डलों⁶ (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा लोक निर्माण) को हस्तांतरित कर दीं। 2014-15 के वित्तीय वर्ष में मई 2013 तथा जून 2014 के बीच मण्डलों (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा लोक निर्माण) से ₹ 11.79 करोड़ की राशि वापिस प्राप्त की गयी थी तथा जमा शीर्ष के अंतर्गत रखी गयी थी। उप-मण्डलों

⁴ हमीरपुर: ₹ 36.50 करोड़; पांवटा साहब: ₹ 6.77 करोड़; संख्या । ऊना (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य): ₹ 5.55 करोड़; डलहौजी: ₹ 1.10 करोड़; धामी: ₹ 6.24 करोड़ एवं हमीरपुर (लो.नि.): ₹ 2.63 करोड़

⁵ मध्यम सिंचाई परियोजना नादेन क्षेत्र का निर्माण (एक); बाटा नदी चरण-। का सरणीकरण (एक); एल.आई.एस., एल.डब्ल्यू.एस.एस. व डब्ल्यू.एस.एस. का निर्माण व संवर्धन (10); बाढ़ सुरक्षा व सरणीकरण (दो); हैण्डपम्प प्रतिष्ठापन (एक) (पि. एवं ज.स्वा.) व सड़कों का निर्माण (छ:); कार्यालय/सर्किट हाउस/रेस्ट हाउस/ प्रशिक्षण केन्द्र भवन/ आवास/ पार्किंग (15) तथा अन्य विविध विकास कार्य (10) (लो.नि.)

⁶ संख्या II ऊना (सिं. एवं ज. स्वा.): ₹ 5.55 करोड़; संख्या III शिमला (लो.नि.): ₹ 6.24 करोड़; माजरा व पांवटा (सिं. एवं ज. स्वा.): ₹ 6.77 करोड़; हमीरपुर (सिं. एवं ज. स्वा.): ₹ 36.50 करोड़; डलहौजी (लो.नि.): ₹ 1.10 करोड़; एवं हमीरपुर (लो.नि.): ₹ 2.63 करोड़

(सिचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा लोक निर्माण कार्य) ने भी ₹ 47.00 करोड़ की राशि जमा शीर्ष के अंतर्गत रखी (मार्च-मई 2014)।

इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता सम्पूर्ण राशि प्रयुक्त नहीं कर सके थे तथा ₹ 30.80 करोड़⁷ की समग्र निधि उनके पास जमा शीर्ष के अंतर्गत अप्रयुक्त रही (अक्टूबर 2014 तथा मार्च 2015)। अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा निधियां बजट अनुदान को परहस होने से बचाने के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में आहत की गई थी। अधिशासी अभियन्ताओं ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2014-मार्च 2015)।

व्यय के लिए निधियों का आहरण एवं इसे जमा शीर्ष के अंतर्गत रखने से बजटीय नियंत्रण तन्त्र को कमज़ोर करता है क्योंकि यह राज्य लेखों में व्यय के रूप में पुस्तांकित किया जाता है जबकि राशि को अभी भी खर्च करना बाकी है।

2.3.6 सरकारी लेखा के बाहर निधियों को रखना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली का नियम 2.10 (ख) (5) यह अनुबद्ध करता है कि कोषागार से किसी भी राशि का आहरण नहीं किया जाएगा बशर्ते यह अतिशीघ्र संवितरण हेतु आवश्यक है यह स्थायी अग्रिम से पहले की भुगतान किया गया हो एवं ऐसे कार्यों के निष्पादन, जिनके पूर्ण होने में अधिक समय लगने की संभावना हो, के लिए कोषागार से अग्रिम आहरण अनुज्ञेय नहीं है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी किसी भी सामान्य या विशेष नियमों के अन्तर्गत उपयोग में न लाई गई निधियों को बैंक में जमा करने हेतु प्राधिकृत नहीं हैं।

महिला एवं बाल विकास और ग्रामीण विकास विभागों के तीन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अभिलेखों की जांच में यह पता चला कि इन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा बर्तनों, प्राक्षिक्षा विद्यालय किट, पानी की टंकी की खरीद, महिला मण्डलों को प्रोत्साहन अनुदान आदि के लिए 2007-08, 2012-13 एवं 2013-14 में ₹ 1.18 करोड़ आहत किये गये। विभागों की राशि खर्च करने में असमर्थता के कारण नवम्बर एवं दिसम्बर 2014 तक ₹ 1.18 करोड़ की सम्पूर्ण राशि बैंकों में अप्रयुक्त पड़ी रही जैसा कि परिशिष्ट 2.13 में विवरण दिया गया है। सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने बताया (नवम्बर 2014 तथा जनवरी 2015) कि बैंकों में पड़ी अव्ययित राशि शीघ्र ही उपयोग में लाई जाएगी। ये उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि कुछ निधियां बैंकों में पिछले साढे छः वर्षों से पड़ी थीं।

2.4 विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत करने में विलंब

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली के नियम 5.74 और 5.75 के अनुसार प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रत्येक सार आकस्मिक बिल में प्रमाणित करना होता है कि उस बिल की तिथि से एक मास से अधिक समय से आहत सार आकस्मिक बिलों के सम्बन्ध में विस्तृत बिलों को कोषाधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उसी वित्तीय वर्ष, जिसमें यह आहत किए गए हैं, के दौरान अग्रिम को समायोजित करवाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी का है एवं एक वित्तीय वर्ष का अग्रिम दूसरे वर्ष तक जाने की संभावना से बचने के लिए मार्च माह में कोई अग्रिम प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। राज्य में 11 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा मार्च 2015 तक सार आकस्मिक बिलों पर आहत ₹ 47.78 करोड़ में से 31 मई 2015 तक प्राप्त विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों की कुल राशि ₹ 1.83 करोड़ थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 45.95 करोड़ का बकाया शेष था जो आहत

⁷ हमीरपुर: ₹ 17.29 करोड़; पांचवटा साहब: ₹ 4.38 करोड़; संख्या। ऊना (सिं. एवं ज. स्वा.): ₹ 3.92 करोड़; डलहौजी: ₹ 0.76 करोड़; धामी: ₹ 1.97 करोड़; व हमीरपुर (लो.नि.): ₹ 2.48 करोड़;

सार आकस्मिक बिलों का मार्च 2015 तक 96 प्रतिशत था। वर्षवार एवं विभागवार व्यौरा परिशिष्ट 2.14 में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का सार आकस्मिक/विस्तृत आकस्मिक बिलों की विस्तृत संवीक्षा के लिए चयन किया गया था। एकत्रित की गई (मई 2015) सूचना तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2015) ने दर्शाया कि वर्ष 2012-14 के दौरान, ₹ 11.91 करोड़ की राशि के 25 सार आकस्मिक बिल दवाइयों की खरीद हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित, शिमला के प्रबन्ध निदेशक के पक्ष में आहत किये गए एवं ₹ 13.98 करोड़ के 13 सार आकस्मिक बिल वित्तीय वर्ष 2014-15 के समापन के दिन आहत कर 13 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (इण्टेन्डिंग अधिकारी) को अवमुक्त किये गये। ये सार आकस्मिक बिल 31 अगस्त 2015 तक असमायोजित रहे जोकि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली के विपरीत था। विवरण निम्नवत् तालिका 2.6 में हैं।

तालिका 2.6: अगस्त 2015 तक असमायोजित रहे सार आकस्मिक बिल

(₹ करोड़)

क्रमांक	वर्ष	सार आकस्मिक बिलों की संख्या	सार आकस्मिक बिलों के आहरण की तिथि एवं मास	राशि
1.	2012-13	16	30-03-2013	11.25
2.	2013-14	9	दिसम्बर 2013 एवं फरवरी 2014	0.66
3.	2014-15	13	31-03-2015	13.98
	योग	38		25.89

विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान पहले अग्रिम का समायोजन किये बिना सार आकस्मिक बिलों का आहरण किया गया था जो कि उपर्युक्त नियम के अनुरूप नहीं था।

यह बताये जाने पर विभाग ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (सितम्बर 2015) कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम एवं सम्बन्धित अधिकारियों को दवाईयों के लिए प्रदान किये गए अग्रिमों के संबंध में अंतिम समायोजन प्राप्त न होने के कारण विभाग उनका समायोजन नहीं कर सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा पूरे साल के बाद वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2014-15 के अंत में अग्रिम प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2013-14 में पहले का अग्रिम समायोजित किए बिना अग्रिम संस्वीकृत किया। अतः विभाग हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली में निर्धारित निर्दिष्ट आन्तरिक नियन्त्रण मण्डण्डों का अनुसरण करने में विफल रहा।

2.5 व्यक्तिगत निक्षेप लेखों का परिचालन

व्यक्तिगत निक्षेप लेखों को समेकित निधि के डेबिट द्वारा सृजित किया जाता है और उसे समेकित निधि में सम्बद्ध सेवा शीर्षों के शेष के माइनस डेबिट द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में बन्द किया जाना चाहिए। महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय से प्राप्त सूचना से उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2014-15 के आरम्भ में 15 जिला कोषों में 109 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे थे। इन 109 व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में से वर्ष के दौरान 11 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे बन्द किए गए तथा 15 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे खोले गए। 31 मार्च 2015 तक इन 113 लेखों में पड़े शेष की स्थिति निम्नवत् है:

- वर्ष के दौरान ₹ 360.80 करोड़ के शेष वाले 100 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में थे।
- चालू वर्ष के दौरान ₹ 0.20 करोड़ की राशि के 13 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में नहीं थे। ये व्यक्तिगत निक्षेप लेखे विगत पांच वर्षों से अधिक से परिचालन में नहीं थे।

व्यक्तिगत निक्षेप लेखे में पड़े अव्ययित शेष समेकित निधि में वापस किये जाने अपेक्षित हैं। 113 व्यक्तिगत निक्षेप लेखों (परिशिष्ट 2.15) में ₹ 361 करोड़ अव्ययित शेषों की जांच अपेक्षित है।

2.6 चयनित अनुदान की समीक्षा का परिणाम

अनुदान संख्या 13⁸-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में बजट प्रक्रिया तथा व्यय पर नियंत्रण की एक समीक्षा परिचालित की गई थी (जुलाई 2015) और समीक्षा के दौरान पाये गये प्रमुख बिन्दुओं का विवरण निम्नवत् है:

2.6.1 बजट एवं व्यय

2014-15 के दौरान अनुदान के अन्तर्गत निधियों के आवंटन एवं किये गये व्यय की पूर्ण स्थिति तालिका 2.7 में दी गई है।

तालिका 2.7: 2014-15 के दौरान निधियों के आवंटन एवं किए गए व्यय की स्थिति

(₹ करोड़)

	कुल अनुदान	किया गया व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग	1,699.84	2,173.90	474.06
पूँजी प्रवर्ग	532.40	523.13	(-) 9.27
योग	2,232.24	2,697.03	464.79

स्रोत: विनियोजन लेखे

2.6.2 अवास्तविक आकलनों के कारण बजट प्रावधानों से आधिक्य

2014-15 के दौरान सात मुख्य शीर्षों (तालिका 2.8) के अन्तर्गत ₹ 1,699.84 करोड़ के प्रावधानों पर ₹ 2,173.90 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 474.06 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। यह देखा गया था कि बड़ी मात्रा में आधिक्य मुख्यतः मुख्य शीर्षों 2215 एवं 2711 के अन्तर्गत उच्चंत शीर्ष (उच्चंत स्टॉक: ₹ 257.70 करोड़, स्टॉक विनिर्माण: ₹ 7.46 करोड़ एवं विविध लोक निर्माण अग्रिम: ₹ 151.63 करोड़) के अन्तर्गत ₹ 416.79 करोड़ के संचयन के कारण हुआ। यह अक्षम योजना एवं अव्यावहारिक आकलन निर्देशित करता है। राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत्त प्रावधान में ₹ 474.06 करोड़ का व्यय आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।

तालिका 2.8: बजट प्रावधानों पर आधिक्य

(₹ करोड़)

क्रमांक -	मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान				व्यय	कुल प्रावधान पर आधिक्य (+)/ बचत (-)
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	योग		
राजस्व प्रवर्ग-दत्तमत्त							
1.	2059-लोक निर्माण	0.64	-	-	0.64	0.62	(-) 0.02
2.	2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1,152.45	-*	10.74	1,163.19	1,511.89	348.70
3.	2216-आवासीय	0.04	-	-	0.04	0.04	-**
4.	2700-मुख्य सिंचाई	18.66	-	(-) 3.79	14.87	13.69	(-) 1.18
5.	2701-मध्यम सिंचाई	10.76	-	0.71	11.47	11.49	0.02
6.	2702-लघु सिंचाई	512.11	-	(-) 61.23	450.88	465.56	14.68
7.	2711-बाढ़ नियन्त्रण एवं जलोत्सारण	5.18	-***	3.79	8.97	170.61	161.64
	योग	1,699.84	-	(-) 49.78	1,650.06	2,173.90	523.84

* ₹4,000 केवल

** ₹13,130 केवल

*** ₹1,000 केवल

⁸ मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य, 2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता, 2216-आवासीय, 2700-मुख्य सिंचाई, 2701-मध्यम सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई, 2711-राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत बाढ़ नियन्त्रण एवं जलोत्सारण व 4215-जलापूर्ति व स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, 4705-कमाण्ड क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय व 4711-पूँजी प्रवर्ग में बाढ़ नियन्त्रण व जलोत्सारण

सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) ने बताया (जुलाई 2015) कि मुख्य शीर्ष 2215 एवं 2711 के अन्तर्गत व्यय आधिक्य उच्चंत शीर्षों के अन्तर्गत सामग्री की बुकिंग के कारण था जिसे शीघ्र विनियमित कर दिया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बजट प्रावधानों के बिना व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

2.6.3 अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

चार मुख्य शीर्षों (तालिका 2.8) के अन्तर्गत ₹ 525.04 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता के लिए विभाग द्वारा नगण्य राशि ₹ पांच हजार का अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया था। यह अव्यावहारिक आकलन का परिचायक है।

विभाग द्वारा अव्यावहारिक आकलन के ठोस कारण नहीं दिये गये थे।

2.6.4 अविवेकपूर्ण पुर्नविनियोजन

2014-15 के दौरान, मुख्य शीर्ष (2215 और 2711) के अन्तर्गत ₹ 14.53 करोड़ का पुर्नविनियोजन अपर्याप्त सिद्ध हुआ क्योंकि ₹ 1,157.63 करोड़ के मूल प्रावधान में से ₹ 510.34 करोड़ का व्यय आधिक्य हुआ। इसके अतिरिक्त, मुख्य शीर्ष 2702-लघु सिंचाई के अन्तर्गत पुर्नविनियोजन प्राप्त करके ₹ 61.23 करोड़ का आहरण अविवेकपूर्ण था क्योंकि वहां अन्ततः ₹ 46.55 करोड़ की बचत थी।

सहायक नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा) ने बताया (जुलाई 2015) कि मुख्य शीर्ष 2215 और 2711 के अन्तर्गत व्यय आधिक्य सामग्री को उच्चंत शीर्ष के अन्तर्गत बुक करने के कारण था एवं मुख्य शीर्ष 2702 के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के कारण था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मुख्य शीर्ष 2215 एवं 2711 के अन्तर्गत बजट प्रावधानों के बिना व्यय नहीं किया जाना चाहिए था एवं मुख्य शीर्ष 2702 के अन्तर्गत भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए निधियों का अभ्यर्पण किया जाना चाहिए था।

2.6.5 निधियों का अभ्यर्पण

i) 2014-15 के दौरान अनुदान के राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत ₹ 1,699.84 करोड़ के प्रावधान में से ₹ 2,173.90 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 474.06 करोड़ (तालिका 2.7) का व्यय आधिक्य हुआ तथापि विभाग द्वारा ₹ 474.06 करोड़ के व्यय आधिक्य में से गलत ढंग से ₹ 49.78 करोड़ का अभ्यर्पण (मार्च 2015) किया गया।

ii) 2014-15 के दौरान अनुदान के पूंजीगत प्रवर्ग के अन्तर्गत ₹ 532.40 करोड़ के प्रावधान में से ₹ 523.13 करोड़ का व्यय किया गया था जिसके फलस्वरूप ₹ 9.27 करोड़ (तालिका 2.7) की बचत हुई तथापि विभाग ने ₹ 8.62 करोड़ अभ्यर्पित किये (मार्च 2015) जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.65 करोड़ कम अभ्यर्पित हुए।

₹ 49.78 करोड़ एवं ₹ 0.65 करोड़ का गलत/कम अभ्यर्पण वित्त प्रबन्धन की कमी दर्शाता है।

2.6.6 व्यय का प्रवाह

राज्य सरकार ने व्यय करने की तिमाही-वार प्रतिशतता निर्धारित (सितम्बर 1995) की है। 2014-15 के दौरान अनुदान संख्या 13 के मामले में तिमाही-वार निर्धारित व्यय के प्रवाह को नहीं बनाए रखा गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 2.9: व्यय का प्रवाह

(₹ करोड़)

माह	व्यय	तिमाही	तिमाही के दौरान व्यय के लिए निर्धारित मानक (प्रतिशत)	तिमाही में व्यय	वास्तविक व्यय का प्रतिशत
अप्रैल/2014	18.04	1	20	386.19	14
मई/2014	216.44				
जून/2014	151.71				
जुलाई/2014	137.87	2	25	502.73	19
अगस्त/2014	202.94				
सितम्बर/2014	161.92				
अक्टूबर/2014	212.87	3	30	606.28	22
नवम्बर/2014	188.93				
दिसम्बर/2014	204.48				
जनवरी/2015	217.36	4	25	1,201.83	45
फरवरी/2015	228.75				
मार्च/2015	755.72				
योग	2,697.03			2,697.03	

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, कि विभाग ने व्यय के लिए निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया था और वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तिम तिमाही में व्यय तीव्र का प्रवाह 45 प्रतिशत था एवं केवल मार्च 2015 माह के दौरान यह अनुदान के कुल व्यय (₹ 2,697.03 करोड़) का 28 प्रतिशत (₹ 755.72 करोड़) था। यह न केवल निधियों के उपयोग एवं आवंटन के लिए योजना की कमी दर्शाता है बल्कि व्यय नियन्त्रण प्रणाली की अनुपस्थिति भी दिखाता है।

वर्ष के अंत में व्यय का प्रवाह निष्फल, निर्रथक या खराब योजनागत व्यय में परिणित हो सकता है। विभाग को वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह को रोकने के लिए निधियों को जहां तक व्यवहार्य हो निर्धारित मानकों के अनुसार पूरे साल में एक समान रूप से खर्च करना सुनिश्चित करना चाहिए।

2.6.7 बजटीय विवरण का देरी से प्रस्तुत करना

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार विभागाध्यक्ष से वित्त विभाग को बजट प्राक्कलन तथा आधिक्य एवं अभ्यर्पण की विवरणी क्रमशः 25 अक्टूबर एवं 1 दिसम्बर को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है तथापि यह पाया गया कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के मुख्य अभियन्ता द्वारा 2014-15 के लिए बजट आकलन तथा आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणी 24 दिसम्बर 2013 एवं 11 फरवरी 2015 को प्रस्तुत की गई थी जिसके फलस्वरूप क्रमशः 60 दिनों एवं 72 दिनों की देरी हुई। यह दर्शाता था कि 2014-15 के दौरान विभाग ने बजट आकलन और आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणी को प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सारणी का अनुसरण नहीं किया था।

सहायक नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा) ने (जुलाई 2015) देरी का कारण विभिन्न क्षेत्रीय इकाईयों से व्यय विवरणी की प्राप्ति में लगा समय बताया। उत्तर विभाग में आन्तरिक नियन्त्रण में कमी दर्शाता है।

2.7 कोषों के निरीक्षण के परिणाम

2.7.1 पेंशन लाभों की अधिक अदायगी

वर्ष 2013-14 हेतु महालेखाकार (लेखा व हकदारी)कार्यालय द्वारा जिला कोषों/कोषों/उप-कोषों के निरीक्षण के दौरान पेंशन भुगतान अभिलेखों की नमूना जांच दर्शाती है कि छः जिला कोषाधिकारियों तथा दो कोषाधिकारियों ने 17 पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों को ₹ 9.81 लाख तक का अधिक भुगतान किया जैसाकि तालिका 2.10 में विवरण दिया गया है। सम्बन्धित पेंशनरों की पेंशन को कम न करने/पेंशन के रूपांतरित भाग की शीघ्र बहाली और स्वर्गवासी सरकारी कर्मचारी के बच्चों को 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पारिवारिक पेंशन के प्राधिकार पारिवारिक पेंशनधारी के विवाह एवं निर्धारित अवधि के बाद पारिवारिक पेंशन का भुगतान के कारण अधिक भुगतान हुआ था।

तालिका 2.10: वर्ष 2013-14 के दौरान (2014-15 में जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन) पेंशन लाभों का अधिक भुगतान (रूपांतरण/पारिवारिक पेंशन के सम्बन्ध में)

(₹ लाख)

क्रमांक	जिला कोषागार/कोषागार/उप-कोषागार का नाम	अधिक भुगतान का स्वरूप	मामलों की संख्या	भुगतान		
				बैंक द्वारा	कोषागार द्वारा	कोषगार वार योग
1.	जिला कोषागार, कांगडा	रूपांतरण	3	--	कोषागार द्वारा	1.51
2.	जिला कोषागार, किनौर स्थित रिकांगपिठो	पारिवारिक पेंशन	1	--	कोषागार द्वारा	1.04
3.	जिला कोषागार, कुल्लू	रूपांतरण पारिवारिक पेंशन	2 1	--	कोषागार द्वारा	1.83
4.	जिला कोषागार, केलांग	रूपांतरण	2	--	कोषागार द्वारा	0.49
5.	जिला कोषागार, सोलन	पारिवारिक पेंशन	3	--	कोषागार द्वारा	0.35
6.	जिला कोषागार, ऊना	रूपांतरण	2	--	कोषागार द्वारा	3.52
7.	कोषागार, काजा	पारिवारिक पेंशन पेंशन	1 1	--	कोषागार द्वारा	0.87
8.	उप- कोषागार, डोडरा-क्वार	पारिवारिक पेंशन	1	--	कोषागार द्वारा	0.20
योग			17	--		9.81

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा तैयार किया गया वर्ष 2014-15 हेतु हिमाचल प्रदेश में कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन।

2.7.2 साख पत्र की तुलना में निधियों का अधिक आहरण

हिमाचल प्रदेश कोष नियम 5.121(क) में परिकल्पित प्रावधानों के अनुसार जिला कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा सम्बन्धित बैंक को आवश्यक अनुदेश जारी करने चाहिए कि लोक निर्माण/सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागों के अधिकारी द्वारा जारी ऐसे किसी चैक को स्वीकार न करें जिन्होंने साख पत्र में निर्धारित सीमा पार कर ली है। साख पत्र धारकों को जैसे ही साख पत्र की और राशि दी जाती है, चैक भुनाने हेतु नये अनुदेश जारी किये जाने अपेक्षित होते हैं।

कोषागारों के स्थानीय निरीक्षणों के दौरान यह देखा गया कि आठ जिला कोषागारों/उप-कोषागारों में 12 चैक आहरण करने वाले आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा साख पत्र की निर्धारित सीमा से अधिक ₹ 9.45 करोड़ की राशि का आहरण किया गया (तालिका 2.11)। अतः साख पत्र सीमा से अधिक की निधियों के आहरण से बजटीय नियंत्रण प्रणाली अप्रभावी हुई।

तालिका 2.11: निधियों का साख पत्र की अपेक्षा अधिक आहरण (2014-15 में जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन)

(₹ लाख)

क्रमांक	जिला कोष/उप-कोष का नाम	अधिक आहरण राशि	आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के नाम
1.	जिला कोषागार, कांगड़ा स्थित धर्मशाला	5.20	अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो.नि.वि., नूरपुर
2.	उप-कोषागार, नूरपुर	45.89 2.17	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, नूरपुर अधिशासी अभियन्ता, फिना सिंह, एम.आई.पी. मण्डल, सडवां नूरपुर
3.	उप-कोषागार, कसबा कोटला	578.59	अधिशासी अभियन्ता, एस.एन.पी.डी., टैरेस, जिला कांगड़ा
4.	जिला कोषागार, शिमला	0.46	अधिशासी अभियन्ता, जल विद्युत निर्माण व अनुरक्षण मण्डल, शिमला
5.	उप-कोषागार, जुब्बल	8.34	अधिशासी अभियन्ता, लो.नि.वि., जुब्बल
6.	उप-कोषागार, रोहड़	90.00	अधिशासी अभियन्ता, लो.नि.वि., रोहड़
7.	उप-कोषागार, चिरगाँव	12.11	सहायक अभियन्ता, लो.नि.वि., चिरगाँव
8.	जिला कोषागार, सिरमोर स्थित नाहन	62.54 10.67 45.00 84.27	अधिशासी अभियन्ता, लो.नि.वि., नाहन अधिशासी अभियन्ता, लो.नि.वि., पांवटा साहिब अधिशासी अभियन्ता, लो.नि.वि., राजगढ़ अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, पांवटा साहिब
योग		945.24 लाख अर्थात् ₹ 9.45 करोड़	12 आहरण एवं संवितरण अधिकारी

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा तैयार किया गया वर्ष 2014-15 हेतु हिमाचल प्रदेश में कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन।

2.7.3 व्यापकता अवधि की समाप्ति के बाद चैकों का आहरण

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 1971 भाग- I के नियम 2.16 तथा हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2007 के नियम 5.16.1 में निहित प्रावधानों के अनुसार चैक जारी करने के माह के बाद तीन माह के लिए प्रचलित रहता है। वित्त विभाग के पत्र दिनांक 7 नवम्बर 2008 एवं 12 नवम्बर 2008 के द्वारा साख पत्र की रूपान्तरित प्रणाली अपनाई गई है जिसमें प्रावधान है कि 1 दिसम्बर 2008 को या उसके बाद बैंक में प्रस्तुत किए गए चैक का बैंक भुगतान नहीं करेगा जब तक कि ये कोषागार द्वारा पास न किये जाएं।

जिला कोषागार/ कोषागार की स्थानीय जांच के दौरान यह पाया गया कि दो मामलों में चैकों की व्यापकता अवधि की समाप्ति के बाद ₹ 5.95 लाख की भुगतान राशि तालिका 2.12 में दिये गये विवरणानुसार आहत की गई थी।

तालिका 2.12: व्यापकता अवधि की समाप्ति के बाद चैकों का आहरण (2014-15 में जारी निरीक्षण प्रतिवेदन)

(₹)

क्रमांक	जिला कोष/उप-कोष का नाम	चैक की राशि	मामलों की संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम
1.	उप-कोषागार, देहरा	24,300/-	1	सहायक अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, उप-मण्डल, डाढ़ा सिवा
2.	जिला कोषागार, शिमला	5,70,593/-	1	सहायक अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, उप-मण्डल, ठियोग
	योग	5,94,893/- अर्थात् ₹ 5.95 लाख		

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा तैयार किया गया वर्ष 2014-15 हेतु हिमाचल प्रदेश में कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

2.8 निष्कर्ष व संस्तुतियां

2014-15 वर्ष के दौरान अनुदानों/विनियोजन के अंतर्गत दर्ज ₹ 74.79 करोड़ का समग्र आधिक्य ₹ 1,585.69 करोड़ के आधिक्य का शुद्ध परिणाम था जो ₹ 1,510.90 करोड़ की बचत से प्रतिसंतुलित हुआ। 2009-14 वर्षों के ₹ 5,055.89 करोड़ के अतिरिक्त 2014-15 के ₹ 1,585.69 करोड़ के अधिक व्यय का राज्य विधान मण्डल से नियमन अपेक्षित है।

राज्य सरकार को अधिक व्यय के कारणों को समय पर प्रस्तुत करने की कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

वर्ष 2014-15 के दौरान छः मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) में प्राप्त कुल ₹ 343.99 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय की पूर्ति हेतु मूल प्रावधान पर्याप्त थे तथा सात मामलों में ₹ 5,967 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक) का पूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिससे कुल ₹ 1,011.84 करोड़ का अधिक व्यय इसमें शामिल नहीं था।

राज्य सरकार को अत्यधिक बचतों/आधिक्यों से बचने के लिए बजट आकलनों की तैयारी हेतु तन्त्र को चुस्त करना चाहिए।

16 मामलों में वित्तीय वर्ष (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक के अभ्यर्पण) के अन्त में ₹ 1,648.74 करोड़ अभ्यर्पित किए गए थे। अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के दृष्टान्त भी थे जिनके परिणामस्वरूप 54 उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ एक करोड़ से अधिक के आधिक्य/बचतें हुई। वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिमाही में तीव्र व्यय प्रवाह से विभागों में बजट नियन्त्रण का अभाव इंगित हुआ। विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत न करने के कारण 2010-15 वर्षों के दौरान आहत ₹ 45.95 करोड़ के सार आकस्मिक बिल मई-जुलाई 2015 तक असमायोजित पड़े रहे। आठ जिला कोषागारों/उप-कोषागारों में चैक आहरण वाले 12 आहरण-संवितरण अधिकारियों ने विहित साख पत्र सीमा से ₹ 9.45 करोड़ अधिक आहत किए।

जस्तरतमंद विभागों द्वारा प्रभावी प्रयुक्ति हेतु राज्य सरकार नियत तिथि तक बचतों के अभ्यर्पण को सुनिश्चित कर सकती है। वर्षान्त में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचने के लिए सुनियोजित ढंग से व्यय किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को विद्यमान नियमों में यथाविहित समय-सीमा के अन्दर सार आकस्मिक बिलों पर आहत राशि के सापेक्ष विस्तृत आकस्मिक बिलों को तुरन्त प्रस्तुत करने हेतु कदम उठाने चाहिए। वित्तीय प्रबन्धन में ऐसी विकृतियों से बचने के लिए सख्ती से बजट नियन्त्रण की अनुपालना होनी चाहिए।